तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम देवप्रकाश पु० बाबूलाल जाति मकान नि० महवा

मिसल मुकदमा धारा 91 LR Act नं० 286/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 14/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
14/2/18	आज पत्रावली पेश हो अतिक्रमी उपस्थित आया जवाब हेतु समय चाहा राजहित में समय दिया पत्रावली दि० 20/2/18 को पेश हो (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
20/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम रसीदपुर के ख०न० 1268 रकबा 84.83 गै० मु० नदी राजकीय भूमि पर 0.04 है० भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 286/18

सरकार बनाम श्री: देवप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति महाजन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 20/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री देवप्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल जाति महाजन निवासी महवा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम रसीदपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 1268 कुल रकबा 84.83 किस्म गैरमु.0 मैरे भूमि से 0.04 रकबा पर अनाधिकृत रूप से चार दीवारी व पक्का निर्माण कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा चार दीवारी पक्का निर्माण से बेदखल किया जाता है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.64 का 50 गुना 32/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को चारदीवारी पक्का निर्माण बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/ब के पेज नं0 81 पर वर्ष 2017-18 की राशि 32/-

तहसीलदार

महवा जिला दौसा